

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर
 उनवान समसू बनाम दलसुखराम
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल नम्बर 15/84/2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.20	<p>आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते बहस पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 193/2018 डा. दलसुखराम पंडया बनाम समसू विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक-नजदीक तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का जल्दवाजी में निस्तारण करने की कौशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तथा ऐलानिया तौर पर कहा कि आगामी तारीख को आवश्यक रूप से फैसला कर दूंगा। पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व वाद डा. दलसुखराम पंडया बनाम समसू को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावें।</p> <p>अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>हमने पत्रावली एवं विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील प्रार्थीनी का मुख्य तर्क यह है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक-नजदीक की तारीखे दी जा रही हैं, उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। प्रार्थी वकील ने अपने कथन की पुष्टी में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोप निराधार है। अप्रार्थी वकील ने प्रकरण को मुन्तकिल करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 193/2018 बअनुवान डा.दलसुखराम पंडया बनाम समसू वगैरा को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम में मुन्तकिल किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी तत्काल उक्त प्रकरण संख्या 193/2018 की पत्रावली न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	

A
 जिला कलक्टर
 अलवर